

२)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/2021/ 12

दिनांक 12.3.2021

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंभा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

पटवार मण्डल :- खरवा प्रथम

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2021/ 92	5598/ 17.17.2020	गुवाडिया	4013 4014	0.6148 है० 0.5016 है०	बरडा बरडा	4013/1 4014/1	0.1416 है० 0.1214 है०	गै.मु. रास्ता
12	2021/ 93	5602/ 28.10.2020	खरवा	4370/1756 1762	0.1861 है० 0.2023 है०	गै.मु.चट्टान बारीनी 2	4370/1756/1 1762/1	0.1112 है० 0.1254 है०	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्दाज यथावत रहेंगे।



(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

